

23/6/2016
12/9/16

संदर्भ संख्या

1639-38

एसआईडीसी/IA/Policy Val-16 (टेम्प) दि. 08-9-16

-: कार्यालय आदेश:-

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.7.16 को आहूत 291वीं बैठक में अविकसित/बल्क भूमि पर इकाई की स्थापना हेतु दी जाने वाली समयावधि को 05 वर्ष करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट में अंकित प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया है कि निगम द्वारा किसी विशिष्ट परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण करते हुये अविकसित/बल्क भूमि के रूप में सम्बन्धित उद्यमी को औद्योगिक इकाई/संस्था की स्थापना हेतु आवंटित की जाएगी अथवा पूर्व में की जा चुकी है तो उस पर इकाई/संस्था की स्थापना हेतु निर्धारित समयावधि 05 वर्ष होगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

06/9/16
(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या /एसआईडीसी-आईए-पालिसी वाल्यूम-16 (टेम्प) दि०
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक कैम्प उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
2. सचिव/समस्त अनुभागाध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
3. श्री एम०पी० गुप्ता, मुख्य प्रबन्धक (परि०)/कम्प्यूटर, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि० (औ०क्षे०), मुख्यालय, कानपुर

Mgr. (Camp)
6
19/09/2016

06/9/16
(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

9C
J. M. W.